

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2022—वैशाख 30, शक 1944

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशृण

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2022

क्र. एफ-5-21-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के अवकाश लेखा में, महालेखाकार ग्वालियर अनुसार सेवानिवृत्ति दिनांक 16 नवम्बर 2021 को निम्नानुसार अवकाश शेष है:—

#### अर्द्ध वेतन अवकाश का शेष

पूर्व सेवा का अवकाश शेष

576

उच्च न्यायालय की सेवा अवधि

173

#### पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश का शेष

244

—

(2) अतः राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला को भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के पत्र क्रमांक एल . 1223/2012-जस., दिनांक 28 मई 2012 के तहत सेवानिवृत्ति दिनांक 16 नवम्बर 2021 की स्थिति में उनके अवकाश लेखा में संचित पूर्व सेवा का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश का शेष 244 दिवस एवं उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अर्द्ध वेतन अवकाश के शेष 173 दिवस का आधा अर्थात् 86.5 दिवस गणना में जोड़ते हुए कुल 330.5 दिवस में से, अधिकतम 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण के एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ-5-09-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-8335-(दो-1-19/16) दिनांक 21 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2021 तक के नौ दिन तक के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ. क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है।

क्र. एफ-5-09-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-6449-(दो-1-19/16) दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में दिनांक 25 से 29 अक्टूबर 2021 तक पांच दिन तक के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ. क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है।

क्र. एफ-5-09-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का

ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4267-(दो-1-19/16) दिनांक 16 नवम्बर 2021 के अनुक्रम में दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2021 तक के नौ दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, अवर सचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2022

क्र. एफ-1(ए)152-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैन्युअल), पु. मु. भोपाल को दिनांक 9 से 20 मई 2022 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 07-08 व 21-22 मई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक, (आर.एण्ड.डी.), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैन्युअल), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्ठका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 मई 2022

क्र. एफ. 1(ए) 58-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल),

मध्यप्रदेश भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 को (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) में दिनांक 17 से 27 मई 2022 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 14-16 व 28-29 मई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ चार धाम यात्रा (उत्तराखण्ड) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता हैः—

- |                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| 1. डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती मंजू सिंह         | — | पत्नी |
| 3. श्री यशेश सिंह            | — | पुत्र |

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (रेल), मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक (रेल), मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू. भलावी, अवर सचिव।

### जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2022

क्र. एफ 5-5-2022-जस-चौबीस.—राज्य शासन, एतदद्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने और उन्हें हित-लाभ वितरण के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नवीन योजना “कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन” प्रारंभ किये जाने तथा योजना संचालन हेतु रुपये 80.00 करोड़ वार्षिक बजट प्रावधान की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार प्रदान करता है। इस कार्य के लिए मध्यप्रदेश माध्यम को 06 प्रतिशत सेवा शुल्क देय होगा। इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आयुक्त जनसम्पर्क द्वारा निर्धारित की जायेगी।

संलग्न परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एल. चौधरी, अपर सचिव।

### विभाग प्रमुखों के आदेश

#### कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 5 मई 2022

क्र. 2022-भू-अर्जन-7104.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 43 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 16-15 (8) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा जारी निर्देशों के तहत गढ़ मध्यम परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टोरेट, बैतूल को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर।

## कार्यालय, कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 6 मई 2022

क्र. ...!६.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार “जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा”

### **धारा 13 (3)**

- |  |   |
|--|---|
| <p>(क) अध्यक्ष</p> <p>(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।</p> <p>(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।</p> <p>(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो</p> <p>(इ) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला सतना</li> <li>1. पुलिस अधीक्षक, सतना</li> <li>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना</li> <li>3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग सतना</li> <li>1. श्री राजेन्द्र साहू, भरहुत नगर सतना</li> <li>2. श्री ददोली पाण्डेय, डिलौरा सतना</li> <li>1. श्री मगनलाल बहोत, सिन्धी कैम्प, सतना</li> <li>2. श्री केशव कोरी, सिद्धार्थ नगर, सतना</li> <li>3. श्री कमलेश चौधरी, रामना टोला, सतना</li> <li>1. प्रबंधक, लीड बैंक जिला सतना</li> </ol> |
|--|---|

क्र. ...!६.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुविभाग ‘अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, रघुराजनगर जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा”

### **धारा 13 (3)**

- |   |   |
|---|---|
| <p>(क) अध्यक्ष</p> <p>(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।</p> <p>(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।</p> <p>(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो</p> <p>(इ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो।</p> <p>(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रघुराजनगर</li> <li>1. थाना प्रभारी, रघुराजनगर</li> <li>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोहावल</li> <li>3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग रघुराजनगर</li> <li>1. श्री रामसिरोमणी जयसवाल, डिलौरा सतना</li> <li>2. श्री संदर्भ सिंह, सतना</li> <li>1. श्री दिलीप समुद्रे, बजरहा टोला सतना</li> <li>2. श्री गुलाब चौधरी, बगहा सतना</li> <li>3. श्री रौशन कुमार रावत, कोलान बस्ती सतना</li> <li>1. तहसीलदार रघुराजनगर</li> <li>1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक सतना</li> </ol> |
|---|---|

क्र. ....!६... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, नागौद जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

### धारा 13 (3)

- |  |   |
|--|---|
| (क) अध्यक्ष  | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागौद   |
| (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित<br>किए जाने हेतु तय किया गया है।        | 1. थाना प्रभारी, नागौद<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत<br>नागौद  |
| (ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त<br>अनुविभाग के निवासी हो।                   | 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग नागौद<br>1. श्री दादूलाल बागरी, वार्ड नं. 2 हरदुआ, नागौद<br>2. श्री सचिन अग्रवाल, नागौद जिला सतना |
| (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति<br>के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो       | 1. श्रीमती कविता कोल, बारा पत्थर नागौद<br>2. श्री राजकिशोर बर्मा, उरदान रहिकवारा नागौद<br>3. श्रीमती सावित्री कोल, खेखाटोला नागौद             |
| (ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी<br>प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो। | 1. तहसीलदार नागौद   |
| (च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं<br>का प्रतिनिधित्व करता है।        | 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौद   |

क्र. ....!७... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, मैहर जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

### धारा 13 (3)

- |  |   |
|--|---|
| (क) अध्यक्ष  | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर  |
| (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित<br>किए जाने हेतु तय किया गया है।        | 1. थाना प्रभारी, मैहर<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैहर<br>3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग मैहर |
| (ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त<br>अनुविभाग के निवासी हो।                   | 1. श्री किरण कुमार कोल, वार्ड नं. 23 मैहर<br>2. श्री अच्छेलाल पटेल, सडेरा मैहर  |
| (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो<br>तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो       | 1. श्री अरुण कोल, अमदरा मैहर<br>2. श्री राजकुमार दहायत, ग्राम डाडी मैहर<br>3. श्री नरेश चौधरी, करियापानी मैहर             |
| (ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी<br>प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो। | 1. तहसीलदार मैहर  |
| (च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं<br>का प्रतिनिधित्व करता है।        | 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक मैहर  |

क्र. ...16.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, अमरपाटन जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा'

### धारा 13 (3)

- |   |  |
|---|--|
| (क) अध्यक्ष   | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरपाटन  |
| (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।        | 1. थाना प्रभारी, अमरपाटन<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अमरपाटन<br>3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग अमरपाटन |
| (ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।                   | 1. श्री रूपनारायण पटेल, विगौड़ी अमरपाटन<br>2. श्री सुनील अग्रवाल, सुभाष चौक अमरपाटन  |
| (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो       | 1. श्री धनीराम साकेत, वार्ड नं. 6 अमरपाटन<br>2. श्री सनी साकेत, बरेहबड़ा अमरपाटन<br>3. श्री भगवानदास बंसल, बजरहा टोला अमरपाटन      |
| (इ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो। | 1. तहसीलदार अमरपाटन  |
| (च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।        | 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक अमरपाटन  |

क्र. ...16.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, रामनगर जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा'

### धारा 13 (3)

- |   |   |
|---|---|
| (क) अध्यक्ष   | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामनगर  |
| (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।        | 1. थाना प्रभारी, रामनगर<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामनगर<br>3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग रामनगर             |
| (ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।                   | 1. श्री अमृतलाल साकेत, वार्ड क्र. 1, न्यूरामनगर<br>2. श्री जगदीश कोल, गंजास, रामनगर   |
| (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो       | 1. श्री विदेशी कोल, वार्ड क्र. 15, न्यूरामनगर<br>2. श्री रामखेलावन साकेत, ग्राम गैलहरी, रामनगर<br>3. श्रीमती सरोज कोरी, ग्राम सोनाडी रामनगर |
| (इ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो। | 1. तहसीलदार रामनगर  |
| (च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।        | 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक रामनगर  |

क्र. ....!6.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, रामपुर बाघेलान जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

### धारा 13 (3)

- |   |  |
|---|--|
| (क) अध्यक्ष   | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामपुर बाघेलान   |
| (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।        | 1. थाना प्रभारी, रामपुर बाघेलान<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान<br>3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग रामपुर बाघेलान    |
| (ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।                   | 1. श्री जितेन्द्र गुप्ता, रामपुर बाघेलान<br>2. श्री पवन गौतम, रामपुर बाघेलान   |
| (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो       | 1. श्री रामावतार साकेत, गढ़वा खुर्द, रामपुर बाघेलान<br>2. श्री रामबहोद प्रसाद, रघुनाथपुर, रामपुर बाघेलान<br>3. श्री रामपाल साकेत, टिकुरिया, रामपुर बाघेलान |
| (ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो। | 1. तहसीलदार रामपुर बाघेलान   |
| (च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।        | 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक रामपुर बाघेलान   |

क्र. ....!6.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, उचेहरा जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा'

### धारा 13 (3)

- |   |   |
|---|---|
| (क) अध्यक्ष   | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उचेहरा  |
| (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।        | 1. थाना प्रभारी, उचेहरा<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उचेहरा<br>3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग उचेहरा |
| (ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।                   | 1. श्री मनोज शर्मा, उचेहरा<br>2. श्री रूपकुमार हरबोल, उचेहरा  |
| (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो       | 1. श्री दिनेश चौधरी, अमदरी उचेहरा<br>2. श्री रामखेलावन कोल, रगौली उचेहरा<br>3. श्रीमती रचना सिंह, करहीकला उचेहरा                |
| (ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो। | 1. तहसीलदार उचेहरा  |
| (च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।        | 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक उचेहरा  |

क्र. ....।६.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, मझगवां जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा'

### धारा 13 (3)

- |   |   |
|---|---|
| (क) अध्यक्ष   | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मझगवां  |
| (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।        | 1. थाना प्रभारी, मझगवां<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझगवां<br>3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग मझगवां                           |
| (ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।                   | 1. श्री संतलाल गुप्ता, मझगवां<br>2. श्री बृजमोहन सिंह, पिण्डा मझगवां  |
| (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो       | 1. श्री रामावतार साकेत, गढवा खुर्द, रामपुर बाघेलान<br>2. श्री राजबहादुर सिंह, ग्राम चौराहा पिंडरा मझगवां<br>3. श्री श्रवण कोल, ग्राम चौराहा पिंडरा मझगवां |
| (इ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो। | 1. तहसीलदार मझगवां  |
| (च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।        | 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक मझगवां  |

अनुराग वर्मा, कलेक्टर,

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

“कचनार” ई-5-पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462016

क्रमांक 2026-अमृत-वि.यो.-22-रीवा-नगरानि-2022

भोपाल, दिनांक 11 मई 2022

## सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18(1) के तहत प्रारूप रीवा विकास योजना, 2035 पर आपत्ति/सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 01.10.2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-3/21/2022/18-5 भोपाल, दिनांक 01.04.2022 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है, जिस पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए जाने की अवधि इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 01.10.2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, जिला रीवा
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा या ई-मेल आई.डी. [obj-sugg-rewa@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-rewa@mp.gov.in) में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

No. 2026-Amrut-D.P.-22-Rewa-TCP-2022

NOTICE

In accordance with section 18(1) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, objections/suggestions have been invited on the draft Rewa Development Plan, 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 01.10.2021 published in the Madhya Pradesh Gazette.

In pursuance of order no. F-3/21/2022/18-5 Bhopal, dated 01.04.2022 of the Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh, for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012, it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished section 23(2) read with Section 18(1) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973) on which objections/suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

In continuation of the said notices, dated 01.10.2021, it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate - <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf> and at following offices during office hours namely :-

- 1- Commissioner, Rewa Division, Rewa
- 2- Collector, District- Rewa
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam - Rewa
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Rewa

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, District Office Rewa or on email ID- [obj-sugg-rewa@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-rewa@mp.gov.in), before expiry of the stipulated period for due consideration.

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक.

कार्यालय, भू—अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. क/वा-1-भू-अर्जन-2021-1224 रा.प्र.क्र.-0005-अ-59-2020-21

हरसूद, दिनांक 29 मार्च 2021

### प्ररूप—“घ” { नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— क/वा-1/भू-अर्जन/2021/हरसूद, दिनांक 16/03/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— उण्डेल रेयत, प.ह.न 43, रा.नि.मं.— 03, छनेरा, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— उण्डेल रेयत, प.ह.न 43	218	0.054
			219	0.115
कुल योग			02	0.169

दलीप कुमार, भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 1319—रीडर—1—2022 रा.प्र.क्र.—0432—बी—121—2021—22

खण्डवा, दिनांक 8 अप्रैल 2022

**प्ररूप—“घ”**  
**{ नियम—6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 421/रीडर—1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 01 (ग्राम—सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा) से टेल (ग्राम— सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला— खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक— 03 में जल परिवहन हेतु ग्राम— अमलपुरा, प.ह.न 85, रा.नि.म.— 04, खण्डवा—1, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

**॥ अनुसूची ॥**

जिला	तहसील	ग्राम / पठवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— अमलपुरा, प.ह.न 85	35	0.050
			95	0.014
			93	0.019
			92	0.015
			91	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— अमलपुरा, प.ह.न 85	88	0.008
			81/1	0.018
			82	0.060
			73/2	0.010
			74/3	0.005
			74/2	0.051
			74/1	0.045
			72/1	0.048
			72/2	0.056
			126/1	0.040
			126/2	0.035
			125	0.048
			240	0.072
			241	0.087
			243/2	0.023
			243/1	0.121
			236/4	0.023
			231/1	0.025
			152/1	0.019
			151	0.072
			153	0.061
			154/1	0.079
<b>कुल योग</b>			<b>37</b>	<b>1.134</b>

पत्र क्र. 1321—रीडर—1—2022 रा.प्र.क्र.—0428—बी—121—2021—22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 412/रीडर—1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.न.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक— 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक—05 में जल परिवहन हेतु ग्राम— चिचली बुजुर्ग, प.ह.न 41, रा.नि.म.— 03, जावर, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— चिचली बुजुर्ग, प.ह.न 41	527/2/2	0.040
			525/1	0.017
			525/3	0.034
			526	0.042
			521/1	0.034
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— चिचली बुजुर्ग, प.ह.न 41	524	0.056
			522	0.008
			392/2	0.033
			394	0.090
			401	0.020
			402	0.104
			403	0.060
			474/2	0.015
			474/1	0.024
			कुल योग	14
				0.577

पत्र क्र. 1323—रीडर—1—2022 रा.प्र.क्र.—0429—बी—121—2021—22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 415/रीडर—1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.न.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक— 2 (B) की बांध माईनर पाईप नहर क्रमांक— 41 में जल परिवहन हेतु ग्राम— लखनगांव, प.ह.न 11, रा.नि.म.— 01, विवगोहन, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### ॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— लखनगांव, प.ह.न 11	500	0.019
			494	0.007
			499/3	0.029
			499/2	0.029
			498/4	0.023
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— लखनगांव, प.ह.न 11	498/3	0.025
			498/1	0.073
			427	0.004
			407	0.045
			410/2	0.032
			409/2	0.008
			कुल योग	11
				0.294

पत्र क्र. 1325—रीडर—1—2022 रा.प्र.क्र.—0430—बी—121—2021—22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट किया गया है) की घारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 417/रीडर—1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उदवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 01 (ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा) से टेल (ग्राम— सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला— खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईटिंगमेन पाईप नहर की ओर माईनर पाईप नहर क्रमांक— 30 एवं 35 में जल परिवहन हेतु ग्राम— माथनी बुजुर्ग, प.ह.न 62, रा.नि.म.— 03, जावर, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की घारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### ■ अनुसूची ■

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— माथनी बुजुर्ग, प.ह.न 62	248/1	0.101
			247	0.012
			138/2	0.010
			138/1	0.025
			137/2	0.004
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— माथनी बुजुर्ग, प.ह.न 62	137/1	0.022
			136/2	0.033
			136/1	0.042
			132	0.009
			135	0.034
			134/1	0.047
			66/2	0.028
			66/1	0.026
			67/3	0.062
			68/2	0.070
			68/1	0.076
			85	0.082
			87/1.	0.011
कुल योग			18	0.694

पत्र क्र. 1327—रीडर—1—2022 रा.प्र.क्र.—0431—बी—121—2021—22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 419/रीडर—1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 01 (ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा) से टेल (ग्राम— सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला— खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक— 03 में जल परिवहन हेतु ग्राम— भावसिंगपुरा, प.ह.न 56, रा.नि.म.— 04, खण्डवा—1, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— भावसिंगपुरा, प.ह.न 56	63	0.158
			85/3/1	0.004
			85/4	0.011
			85/2	0.011
			86/1	0.055
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— भावसिंगपुरा, प.ह.न 56	86/2	0.023
			90	0.090
			89	0.005
			91/1	0.072
			कुल योग	09
				0.429

पत्र क्र. 1329—रीडर—1—2022 रा.प्र.क्र.—0433—बी—121—2021—22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 423/रीडर—1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक—01 (ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा) से ग्राम— जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक—64 तथा पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से ग्राम— जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक— 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक— 19 में जल परिवहन हेतु ग्राम— धनगांव, प.ह.न— 59, रा.नि.म.— 03, जावर, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### ॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— धनगांव, प.ह.न— 59	498/2	0.016
			504/1	0.014
			497/1	0.069
			497/2	0.060
			496/1	0.023
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— धनगांव, प.ह.न— 59	505/1	0.039
			522	0.019
			245	0.017
कुल योग			08	0.257

पत्र क्र. 1331-रीडर-1-2022 रा.प्र.क्र.-0426-बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 414/रीडर-1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.न.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोहणी, प.ह.न 60, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिसूचना को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- रोहणी, प.ह.न 60	128/2	0.030
			134/2	0.011
			164	0.018
			163	0.016
			167/1	0.070

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— रोहणी, प.ह.न 60	160	0.040
			159/1/2	0.005
			159/1/3	0.044
			159/2	0.008
			176	0.040
			174	0.020
			179	0.060
			180	0.052
			183/2	0.020
			181	0.024
			182	0.004
			77	0.016
			49	0.040
			76/2	0.032
			76/1	0.025
			75	0.011
			60/2	0.040
			64	0.010
			61	0.038
			62	0.035
			63/2	0.036
			65	0.003
			52	0.007
			47	0.025
			324	0.031
			325	0.051
			367	0.032
			368	0.046
			364/1	0.040
			362	0.035
			361/1	0.020
			360/1/1	0.040
			357	0.021
			356	0.022
			355	0.075
			391/1	0.030
			391/3	0.007
			394/1	0.037

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— रोहणी, प.ह.न 60	394/3 393/1 33/4 34/1 35/1 36/1/2 340 342 346 350/1 350/2 351 352 395 396 398 401/1 405/1 408/1 409/1 411	0.033 0.076 0.006 0.026 0.017 0.065 0.093 0.078 0.131 0.053 0.027 0.037 0.064 0.077 0.085 0.075 0.042 0.042 0.037 0.038 0.050
कुल योग			64	2.419

पत्र क्र. 1333—रीडर—1—2022 रा.प्र.क्र.—0427—बी—121—2021—22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 425/रीडर—1/2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.न.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक— 2 (A) (ग्राम— जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक), 2(B) (ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक) व 2(C) (ग्राम— कोटवाडा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक) में जल परिवहन हेतु ग्राम— जावर, प.ह.न 57, रा.नि.मं—03, जावर, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— जावर, प.ह.न 57	69/1	0.046
			69/2	0.066
			68/3	0.041
			67	0.075
			66/1	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— जावर, प.ह.न 57	66/2	0.025
			65	0.050
			54	0.022
			53	0.022
			52	0.021
			1/2	0.050
			3	0.025
			1/1	0.048
			6	0.099
			8	0.095
			9/2	0.066
			24	0.046
			23	0.032
			22/2	0.019
			22/1	0.016
			29/2	0.035
			44	0.022
			503/1	0.020
			505	0.073
			504	0.053
			1024	0.073
			433/2	0.006
			778	0.105
			416/2	0.036
			411/2	0.018
			411/1	0.022
			611/2	0.015
			618/3	0.042
			618/1	0.067
			618/2	0.057
			619/1	0.029
			619/2	0.008
			619/3	0.020
			620/1	0.025
			620/2	0.020
			621	0.035
			821/3	0.027
			815	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— जावर, प.ह.न 57	814	0.048
			813	0.047
			811/2	0.044
			810	0.062
			805/1	0.045
			718/2	0.033
			718/1	0.039
			719	0.089
			720	0.066
			721	0.061
			722	0.046
			741	0.050
			742	
			740	0.045
			738	0.124
			737	0.041
			880/1	0.125
			885/1	0.145
			887	0.048
			889	0.015
			885/3	0.090
			885/4	0.075
			886/5	0.009
			893/1	0.040
			893/2	0.030
			893/3	0.031
			894/1	0.060
			894/2	0.040
			936/1	0.050
			936/2	0.010
			935	0.054
			934/6	0.010
			934/1	0.035
			934/4	0.055
			929/2	0.030
			929/3	0.056
			928/2	0.073
			985	0.065

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— जावर, प.ह.न 57	997/1	0.045
			997/2	0.043
			996	0.065
			1003/2	0.038
			1003/3	0.035
			787	0.058
			786/1	0.071
			785	0.022
			772/1	0.021
			749/2	0.035
			773/1	0.078
			755	0.005
			749/1	0.033
			750/2	0.051
			750/1	0.036
			751	0.059
			729/2	0.020
			736	0.062
			735	0.023
			732	0.041
			690	0.160
			691	
			688	0.007
		कुल योग	102	4.736

अरविन्द कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 3881—भू—अर्जन—2021

राजगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2022

## प्रारूप—ख

## नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम डगल्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1, जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मैसर्स लार्सन एण्ड ट्रॉब्रों कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू—अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर—जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची (01)

ग्राम — डगल्या		तहसील—खिलचीपुर		
क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
1	निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	19.041	19.041	0.176
योग		19.041	19.041	0.176

## अनुसूची —(02)

कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :— डगल्या तहसील — खिलचीपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिकार का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	13	जगन्नाथ पिता केशरसिंह, जोजनसिंह पिता माधोसिंह, मांगीलाल पिता कालू जाति राजपूत	डगल्या	1.012	0.003
2	18/1	भंवरसिंह पिता नारायण जाति राजपूत	डगल्या	0.135	0.004
3	18/2	त्रिमुख पिता नारायण जाति राजपूत	डगल्या	0.135	0.002
4	18/3	हिम्मतसिंह पिता नारायण जाति राजपूत	डगल्या	0.135	0.004
5	21/3	कशनपालसिंह पिता जोजनसिंह जाति राजपूत	डगल्या	0.104	0.002

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
6	21/4	गोकूल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.104	0.002
7	21/5	ग्यारसीबाई हजारीलाल, रामसिंह, मगवानसिंह पिता हजारीलाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.104	0.002
8	21/6	गोकूल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.101	0.001
9	21/7	कशनपालसिंह पिता जोजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.101	0.001
10	21/8	मोतीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.101	0.001
11	21/9	जगन्नाथ पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.101	0.001
12	24/1/2	शंभूसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.102	0.001
13	24/2/2	भंवरसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.168	0.001
14	24/1/4	त्रिमूर्वनसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.102	0.001
15	24/3	जगन्नाथ पिता केशरसिंह, जोजनसिंह पिता माधोसिंह, मांगीलाल पिता कालू जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.723	0.001
16	24/6	राजेन्द्रसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	1.433	0.001
17	25/1	भंवरसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.198	0.002
18	25/2	त्रिमूर्वनसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.198	0.002
19	25/3	हिमतसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.198	0.004
20	58/2	मु. छतरकुंवर हाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.071	0.002
21	58/3	मु. छतरकुंवर हाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.012	0.002
22	58/6	छमताबाई बेवा यशोधरसिंह, लखनसिंह, हेमसिंह, अनिताबाई पुत्री यशोधरसिंह ना.बा. सरपरस्त माता छमताबाई जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.077	0.002
23	58/7	छमताबाई बेवा यशोधरसिंह, लखनसिंह, हेमसिंह, अनिताबाई पुत्री यशोधरसिंह ना.बा. सरपरस्त माता छमताबाई जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.012	0.002
24	59/1	मारतसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.195	0.001
25	59/2	भंवरसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.089	0.001
26	59/3/1	प्रभूनाथसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.055	0.001

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
27	59/4	भंवरलाल, प्रभूनाथ सिंह, प्रेम, हेमकुंवर आ. ढूंगरसिंह, भारतसिंह, नंदकुंवर आ. बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.020	0.001
28	59/5	भारतसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.046	0.001
29	59/7	भंवरसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.010	0.001
30	60/1/1	प्रभूनाथसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.030	0.001
31	60/1/2	प्रेमसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.030	0.001
32	60/3/1	प्रभूनाथसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.016	0.001
33	60/4	भंवरसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.046	0.001
34	60/5/1	प्रभूनाथसिंह पिता ढूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.006	0.001
35	194/1	उदयसिंह, अर्जुनसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.733	0.002
36	194/2/1	भूरीबाई पति मांगीलाल, सुडीबाई पति मगवानसिंह जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.596	0.002
37	194/2/2	भंवरलाल, श्रीलाल, धूरीलाल आ. धीसीबाई, कंचनबाई आ. भोना जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.113	0.002
38	194/3/3	देवीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.061	0.002
39	194/3/4	राधेश्याम पिता ओंकार हजारी पिता मागीरथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.121	0.002
40	194/4	नरसंग, मोतीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.024	0.002
41	194/5	हरीसिंह पिता कनीराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.121	0.002
42	194/5/3	घनश्याम पिता चम्पालाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.159	0.002
43	194/5/4	मांगीलाल पिता कालू जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.253	0.002
44	194/6	गोरुद्यन पिता कनीराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.047	0.002
45	194/13	छबीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.024	0.002
46	194/21/2	रामलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.123	0.002
47	194/21/3	हेमराज पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.122	0.002
48	195/1	पुष्पेन्द्रसिंह पिता मगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.732	0.008

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गॉव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
49	195/2	बलवंतसिंह पिता हजारसिंह, ना.बा. सरपरस्त माता हेमकुंवर पत्नि हजारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.733	0.006
50	193/1/5	नरसंग, मोतीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.057	0.002
51	193/1/6	नारायण, प्रभूलाल, रामप्रताप पिता जालम, कमलाबाई पुत्री जालमसिंह पु. केशरबाई बेवा हजारी जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.058	0.002
52	193/2/1	भंवरलाल, प्रह्लाद पिता कालू जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.221	0.002
53	193/3	नरसंग, मोतीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.151	0.002
54	193/7	नारायण, प्रभूलाल, रामप्रताप पिता जालम, कमलाबाई पुत्री जालमसिंह पु. केशरबाई बेवा हजारी जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.058	0.002
55	193/9	भंवरलाल, श्रीलाल, धूरीलाल आ. धीसीबाई, कंचनबाई आ. भोना जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.039	0.004
56	216/5	नारायण पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.061	0.002
57	216/7	प्रेमसिंह पिता फूलसिंह, कैलाश पिता फूलसिंह, सरदारबाई बेवा फूलसिंह जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.493	0.002
58	216/10	मोतीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी		0.156	0.002
59	216/11	गोकूल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.167	0.002
60	216/12	रामचरण पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.253	0.002
61	216/13	नरसंग, मोतीलाल पिता जगन्नाथ, भंवरा बाई पुत्री जगन्नाथ, नारायण प्रभू. रामप्रताप पिता जालम मु. केशर जाति दांगी बाई बेवा हजारी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.493	0.002
62	216/14	मांगीलाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.228	0.002
63	216/16/3	रामचरण पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.053	0.002
64	216/18	नरसंग पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.156	0.002
65	216/19	घनश्याम पिता चम्पालाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.156	0.002
66	216/20	चम्पालाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.253	0.002
67	218/1	रामलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.325	0.002

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
68	218/2	हेमराज पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.325	0.002
69	218/3	देवीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.325	0.002
70	219/1	बालचंद पिता देवीराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.223	0.002
71	219/2	कालूराम पिता देवीराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.223	0.002
72	219/4	पूरीलाल पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.670	0.004
73	222	शासकीय	डगल्या	2.048	0.002
74	228/1/2	चम्पालाल पिता भोना जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.308	0.006
75	228/2	चम्पालाल पिता भोना जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.305	0.004
76	229/1	मोतीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.216	0.006
77	229/2	जगन्नाथ पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी	डगल्या	0.544	0.004
78	229/3	रायरसीबाई हजारीलाल, रामसिंह, मगवानसिंह पिता हजारीलाल जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी	डगल्या	0.544	0.006
				महायोग	19.041
					0.176

प्र. क्र. 3883—भू—अर्जन—2020—21

## प्रारूप—ख

### नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अंतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम सनखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1, जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड ट्रॉब्र्झ कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अंतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अंतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू—अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर—जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### अनुसूची (01)

ग्राम — सनखेड़ी क्र.	विवरण	तहसील—खिलचीपुर	
		उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
योग		12.112	0.061
		12.112	0.061

#### अनुसूची —(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :— सनखेड़ी तहसील — खिलचीपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	2/2	केशरबाई पल्लि बापूलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.466	0.003
2	3/1	केशरबाई पल्लि बापूलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.166	0.002
3	3/2	रामप्रसाद पिता धीसालाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.048	0.002

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिकारी का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
4	4/2	हरिसिंह पिता धूला जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.149	0.004
5	7/2/1	कालूराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.253	0.002
6	7/2/2	घीसा पिता गम्भीर जाति बसौड नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.556	0.002
7	8	शासकीय	सनखेड़ी	0.304	0.001
8	9/1/2	घीसा पिता गम्भीर जाति बसौड नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.858	0.002
9	9/2 9/3 9/4	मनोहरलाल पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.839	0.007
10	9/5	प्रेमनारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.316	0.004
11	9/6/1	शिवनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.487	0.001
12	9/6/2	हरिसिंह पिता धूला जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.488	0.001
13	16/1	जडावबाई बैवा रामप्रताप हरिसिंह पिता नारायण दत्तक पुत्र रामप्रताप जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	1.126	0.006
14	16/3	दिनेश नाबालिक पिता विजयसिंह संरक्षक ना.बा.सरपरस्त माता पुस्पाबाई बैवा विजयसिंह धापूबाई बैवा रामबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	1.126	0.005
15	31/1	रामप्रताप पति बालबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.770	0.002
16	31/2	विजयसिंह पिता शिवधारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	1.003	0.001
17	34/1	रामप्रताप पति बालबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.200	0.001
18	34/2	विजयसिंह पिता शिवधारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.205	0.003
19	45/1	मेरुलाल पिता गोपीलाल किशनलाल पिता गोराबाई पिता गोपीलाल कमलबाई पिता गोपीलाल भंवरीबाई पिता गोपीलाल गोपाल मोटीलाल प्रेमसिंह पिता रतनलाल धापूबाई बैवा रतनलाल मदन पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.293	0.003
20	45/2	पूनमचन्द पिता देवीसिंह जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.421	0.003
21	45/3	धूला पिता मत्ता जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.422	0.002
22	45/4	केसरबाई बैवा भगचन्द बालू पिता भागचन्द जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.567	0.001
23	33/1	रामप्रताप पति बालबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.300	0.001
24	33/2	विजयसिंह पिता शिवधारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.509	0.001
25	35/2/1	कन्दैयालाल पिता देवीसिंह जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	सनखेड़ी	0.240	0.001
महायोग					12.112
					0.061

प्र. क्र. 3885—भू—अर्जन—2021

## प्रारूप—ख

### नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डलिया वृहद सिंचाइ परियोजना दायी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम खाताखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1, जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारांगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड ट्रॉमों कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सकाम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू—अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर—जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### अनुसूची (01)

ग्राम — खाताखेड़ी		तहसील—खिलचीपुर		
क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना दायी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के अंतर्गत जाने वाली भूमि हेक्टर में	
		27.352	0.208	
योग		27.352	0.208	

#### अनुसूची —(02)

कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :- खाताखेड़ी तहसील — खिलचीपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गॉड का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	487	शासकीय	खाताखेड़ी	0.583	0.002
2	488/1	मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति कुल्ली	खाताखेड़ी	1.139	0.006
3	488/2	लालजीराम पिता नाथूलाल जाति कुल्ली	खाताखेड़ी	1.139	0.006
4	501/1	रोडमल पिता रामेश्वर, नरेन्द्र पिता रामेश्वर जाति कुल्ली	खाताखेड़ी	0.530	0.002
5	501/2	जगदीश पिता दोलतराम, विष्णुप्रसाद पिता दोलतराम जाति कुल्ली	खाताखेड़ी	0.530	0.002
6	500/1/1	रमेशचन्द्र पिता नरसंग जाति कुल्ली	खाताखेड़ी	0.123	0.008
7	504/1/1	विष्णुप्रसाद पिता गंजाराम जाति कुल्ली	खाताखेड़ी	0.380	0.001

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
8	499	रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.595	0.002
9	497	कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.947	0.003
10	498/1/1	कैलाश पिता बालचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.233	0.003
11	498/1/2	बंटी पिता बालचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.234	0.003
12	498/2	गोपाल पिता राजाराज जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.467	0.003
13	523/1	रामेश्वर पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.300	0.001
14	523/2	राजाराम पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.299	0.001
15	523/3	विष्णुप्रसाद पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.299	0.001
16	523/4	लक्ष्मीनारायण पिता रुग्नानाथ जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.899	0.001
17	448/1	शासकीय	खाताखेड़ी	2.505	0.002
18	445/1	हरि पिता शिवलाल, प्रेमनारायण, भगवान्सिंह, घनश्याम पिता नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.228	0.002
19	345	शासकीय	खाताखेड़ी	0.721	0.001
20	344/1	रामप्रसाद पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.125	0.003
21	341	रामप्रसाद पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.125	0.001
22	343/2	रामप्रसाद पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.077	0.001
23	326/1/2	खुशीराम पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.250	0.004
24	328/2	बजरंग पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.125	0.005
25	324	बजरंग पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.239	0.004
26	321/1	रमेशचन्द्र पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.064	0.001
27	321/2	गोपाल पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.063	0.001
28	321/3	रोडीबाई पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.063	0.001
29	321/4	कौशल्याबाई पिता नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.063	0.001
30	321/5	मनोहरबाई पिता नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.063	0.001
31	508	रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.405	0.004
32	510	गिरीराज पिता गोपीलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.530	0.005

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
33	511	राजाराम पिता मंछराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.178	0.001
34	514	मधूरालाल पिता गोपीलाल, गोवर्धनलाल पिता गोपीलाल, गिरीराज पिता गोपीलाल, त्रिलोकचंद पिता गोपीलाल, मंजूबाई पिता गोपीलाल, श्यामाबाई पति गोपीलाल जाति कु नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.543	0.003
35	515/1	मधूरालाल पिता गोपीलाल, गोवर्धनलाल पिता गोपीलाल, गिरीराज पिता गोपीलाल, त्रिलोकचंद पिता गोपीलाल, मंजूबाई पिता गोपीलाल, जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.322	0.003
36	516/1	शिवनारायण पिता आत्माराम, बापूलाल पिता आत्माराम, घासीराम पिता आत्माराम, बद्रीलाल पिता आत्माराम, संजय पिता आत्माराम, हेमराज पिता आत्माराम, लीलाबाई बेया आत्माराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.124	0.002
37	527/1	नारायण पिता प्रताप जाति बलाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.202	0.001
38	527/2	कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.220	0.001
39	527/3	मांगीलाल पिता श्रीकिशन जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.166	0.001
40	534/1	पपू पिता जयनारायण जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.253	0.008
41	535/1	रमेशचन्द्र पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.120	0.003
42	545/2/5	मनोहरबाई पिता नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.165	0.001
43	542/2/1	रामेश्वर पिता मंधराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.253	0.001
44	544/1	गोपाल पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.440	0.010
45	532/2	गोपाल पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.253	0.006
46	546	शासकीय	खाताखेड़ी	0.619	0.001
47	563	शासकीय	खाताखेड़ी	0.065	0.001
48	551	रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.267	0.001
49	549/2	रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.196	0.007
50	571	रोडमल पिता रामेश्वर, नरेन्द्र पिता रामेश्वर जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.506	0.004
51	572/1/1	बटी पिता बालचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.110	0.002
52	572/1/2	कैलाश पिता बालचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.110	0.002
53	572/2	गोपाल पिता राजाराम, कमल पिता राजाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.221	0.001

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
54	573/1	बद्रीलाल पिता धूरीलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.366	0.003
55	573/3	मनुबाई बेवा रामकरण, सीमाबाई पुत्री रामकरण जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.250	0.003
56	577/5	रोडमल पिता कन्हैयालाल, मोहनलाल पिता कन्हैयालाल नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.250	0.002
57	577/6	बद्रीलाल पिता रामलाल, पारीबाई पुत्री रामलाल, दुर्गा बाई पुत्री नारान, रुकमणीबाई पुत्री नारान, धीसीबाई बेवा नारान जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.443	0.002
58	577/7	रामगोपाल पिता शिवनारायण जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.880	0.002
59	780/1	दोलतराम पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.980	0.009
60	780/2	किशनलाल पिता चुनीलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.494	0.009
61	779/1	लक्ष्मीनारायण पिता रुगनाथ जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.453	0.004
62	779/2	दोलतराम पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.453	0.004
63	777/1	मांगीलाल पिता देवीसिंह जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.568	0.005
64	777/2	शान्तिलाल पिता देवीसिंह जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.569	0.005
65	776	रोडमल पिता बापूलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.506	0.006
66	773/1	मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.170	0.001
67	773/2	रोडमल पिता बापूलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.170	0.001
68	772/6/1	देवीलाल पिता भागीरथ जाति नाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.161	0.003
69	772/6/2	मांगीलाल पिता रामदयाल, ममता, धापू, सुशीला, कविता पिता रामदयाल, लीलाबाई बेवा रामदयाल जाति नाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.299	0.003
70	772/6/3	रामप्रसाद पिता भागीरथ जाति नाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.363	0.003
71	769/2/1/1/2	पंकज कुमार पिता कैलाशचन्द्र गुप्ता जाति महाजन नि.ग्रा.भूमि स्वामी	खाताखेड़ी	0.301	0.001
महायोग				27.352	0.208

प्र. क्र. 3887—भू—अर्जन—2021

### प्रारूप—ख

#### नियम 5 कानियम (2) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अंतर्वर्ष राज्य सरकार को लोंकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम खजूरीगोकुल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1, जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड ट्रॉनी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अंतर्वर्ष राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अंतर्वर्ष मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्रमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू—अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर—जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### अनुसूची (01)

ग्राम — खजूरीगोकुल		तहसील—खिलचीपुर		
क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	
		31.303	0.213	
योग		31.303	0.213	

#### अनुसूची —(02)

कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :— खजूरीगोकुल तहसील — खिलचीपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिकारी का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	13	शासकीय	खजूरीगोकुल	0.024	0.001
2	5	गोकुल, गोविन्द, राजबाई, रेशमबाई पिता बंशीलाल, रामकलाबाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड़	खजूरीगोकुल	0.862	0.002
3	8,9,10,11	गंगाधर पिता तोलाराम जाति धाकड़	खजूरीगोकुल	1.103	0.002
4	6/1	गोकुल, गोविन्द, राजबाई, रेशमबाई पिता बंशीलाल, रामकलाबाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड़	खजूरीगोकुल	0.138	0.003

ब्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
5	4/2	कंवरलाल पिता हजारीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.379	0.004
6	4/3	शूभम पिता रामनारायण धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.379	0.004
7	46/1	रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.206	0.002
8	47/1/1	रामनारायण पिता अनोखसिंह धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	1.339	0.009
9	48/1	हजारीलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.935	0.005
10	48/2	गोकुल, गोविन्द, राजूबाई, रेशमबाई पिता बंशीलाल, रामकलाबाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.934	0.006
11	60	हजारीलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.380	0.001
12	61/2	रामेश्वर पिता सिद्धनाथ जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.241	0.001
13	67	भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.227	0.001
14	65	भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.081	0.003
15	66/1	शासकीय	खजूरीगोकुल	0.138	0.001
16	70/1	भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.556	0.001
17	70/2	रामेश्वर पिता सिद्धनाथ जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.455	0.001
18	64	भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.026	0.001
19	62	भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.540	0.001
20	63	भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.010	0.004
21	71/1	रामेश्वर पिता सिद्धनाथ जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.061	0.003
22	71/2	शिवनारायण पिता सिद्धनाथ जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	1.130	0.003
23	119/3	शिवनारायण पिता मना जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.405	0.002
24	120/1	कंचनबाई पति मना जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.987	0.011
25	120/2/2	कंचनबाई पति मना जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.478	0.006
26	131/1	मथूरालाल पिता गोपीलाल जाति कुली नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.571	0.003
27	131/2/1/1	रामचन्द्र पिता गोवर्धनलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.169	0.003
28	131/2/1/2	सूरजमल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.170	0.003
29	131/2/2	जगदीश पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.228	0.004
30	129/2/1	रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.639	0.003

क्रमांक	खसरा नं	मूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गौव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित हेत्र
31	129/2/2	मध्यूरालाल पिता गोपीलाल जाति कुम्ही नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.165	0.004
32	143/1	शासकीय	खजूरीगोकुल	0.125	0.002
33	130/1/1	रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.083	0.001
34	130/1/2	सूरजमल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.083	0.004
35	156	बालप्रसाद पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	1.230	0.005
36	157	बालप्रसाद पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.291	0.002
37	158	बालप्रसाद पिता बापूलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.356	0.003
38	164/2/1	नरेन्द्र पिता बदीलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.506	0.006
39	164/2/2	देवीसिंह पिता धूला जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.506	0.003
40	162	मांगीलाल पिता रामविलास जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	2.177	0.011
41	777/2/1/1	रमेश पिता गंगाधर जाति धाकड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.097	0.002
42	777/2/1/2	केदार पिता गंगाधर जाति धाकड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.097	0.002
43	777/2/2	केलाश पिता गंगाधर जाति धाकड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.097	0.002
44	781/1/1/2	हरिनारायण पिता रोडमल जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.170	0.002
45	781/1/1/1	राजेश पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.143	0.002
46	781/1/1/2	हरिनारायण पिता रोडमल जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.170	0.002
47	781/1/2/2	प्रभूलाल उर्फ पपू पिता मदनलाल जाति धाकड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.076	0.002
48	781/2/1	रोडमल पिता मदनलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.692	0.002
49	787/1	अग्निलकुमार पिता रामविलास जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.328	0.006
50	787/2	शिवनारायण पिता रामविलास जाति धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.328	0.001
51	786/1/1	रमेशचन्द्र पिता रामविलास जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.093	0.003
52	786/2/2	रघेन्द्र पिता प्रह्लादसिंह जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.617	0.003
53	820/2/2/1	चन्द्रकलाबाई बेवा प्रेमनारायण जाति धाकड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.985	0.004
54	820/2/2/2	रामबाबू पिता देवीसिंह जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.985	0.004
55	820/3/2/1	हेमराज पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.072	0.004
56	819/1	हेमराज पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	1.098	0.001
57	819/2/1	रामचरण पिता देवीसिंह जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.251	0.001

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
58	819/2/2	रामबाबू पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.056	0.001
59	859/1	मंथरलाल पिता गणेशराम जाति धाकड नि.ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.077	0.001
60	859/2	रामबाबू पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.025	0.001
61	860	बद्दीलाल, दोपतीबाई पिता अमरसिंह, देवकरण, सीमाबाई, भूलीबाई पिता मारीरथ, भंवरीबाई बेवा भारीरथ जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.543	0.006
62	862/1	देवीसिंह पिता जादूकुंवर जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	1.011	0.003
63	862/2	रामचरण पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.383	0.003
64	868	श्रीराम मंदिर पूजारी नाथुदास पिता धीसादास, घनश्याम दास, रोहु पिता मारीरथदास बैरागी पुनमचंद जाति बैरागी नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	1.416	0.002
65	867	गीताबाई पति नारायण जाति चमार नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.506	0.006
66	869	रमेशचन्द्र पिता देवीलाल जाति काढी नि. ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.644	0.004
67	870	नारायण पिता गेंदा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.506	0.004
68	896/8	रोहमल पिता कंवरलाल जाति भील नि.ग्राम. भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.265	0.002
69	896/9	मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति भील नि. ग्राम भूमि स्वामी	खजूरीगोकुल	0.259	0.002
				महायोग	31.303
					0.213

प्र. क्र. 4073—भू—अर्जन—2021

राजगढ़, दिनांक 19 अप्रैल 2022

### प्रारूप—ख

#### नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अंतर्वर राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम चितावलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1, जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड ट्रॉन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अंतर्वर राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अंतर्वर मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू—अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर—जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### अनुसूची (01)

ग्राम — चितावलिया		तहसील—खिलचीपुर	
क्रं.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		6.221	0.024
	योग :-	6.221	0.024

#### अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :— चितावलिया तहसील — खिलचीपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	248/1	भंवरसिंह, विक्रमसिंह, ललूसिंह, शंकरसिंह पिता भीमसिंह, भंवरकुंवर बेवा भीमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	चितावलिया	2.189	0.008
2	249	शासकीय	चितावलिया	0.380	0.004
3	20/01/1	चेनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	चितावलिया	1.000	0.004
4	247	भंवरसिंह, भगवतसिंह, केशलसिंह, बलरामसिंह, हिन्दूसिंह, शिवसिंह पिता मांगीलाल मुकुंवर बेवा मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूमि स्वामी	चितावलिया	2.652	0.008
महायोग				6.221	0.024

प्र. क्र. 4071—भू—अर्जन—2021

### प्रारूप—ख

#### नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अंतर्वर राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम बाजरोन तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1, जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड ट्रॉबों कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अंतर्वर राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अंतर्वर मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू—अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर—जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### अनुसूची (01)

ग्राम — बाजरोन		तहसील—खिलचीपुर		
क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	
		31.288	0.259	
योग		31.288	0.259	

#### अनुसूची —(02)

कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :— बाजरोन तहसील — खिलचीपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल सेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	119	भगवानसिंह, हजारसिंह पिता उमेदसिंह जाति राजपूत	बाजरोन	1.631	0.002
2	124/1	भगवानसिंह, हजारसिंह पिता उमेदसिंह जाति राजपूत	बाजरोन	2.181	0.010
3	124/2	उमेदकुवं बेवा उमेदसिंह जाति राजपूत	बाजरोन	3.270	0.010
4	139	केशरबाई बेवा प्रहलाद रामचरण पिता प्रहलाद प्रेमबाई बरदीबाई कंकबाई भूलीबाई पिता प्रहलाद श्रीलाल पिता रामसिंह जाति दांगी	बाजरोन	0.975	0.008

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
5	140	केशरबाई बैवा प्रहलाद रामचरण पिता प्रहलाद प्रेमबाई बरदीबाई कंकूबाई भूलीबाई पिता प्रहलाद श्रीलाल पिता रामसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.53	0.004
6	142	रोडा पिता मोहनलाल ग्यारसीबाई पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.47	0.005
7	157/1	लक्ष्मीनारायण पिता देवीसिंह नारानीबाई बैवा देवीसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.548	0.002
8	157/2	चौथमल पिता देवीसिंह सुन्दरबाई पिता देवसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.322	0.002
9	158/2	श्रीलाल पिता रामसिंह जाति दांगी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.36	0.004
10	159/1	गोरीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.304	0.002
11	175	बिजेसिंह पिता रामरतन जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.065	0.002
12	174/2	मदनलाल पिता रोडजी रतनलाल पिता रोडजी गुलाबबाई पिता रोडजी लीलाबाई पिता रोड जी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.018	0.001
13	176/1	चौथमल पिता देवीसिंह सुन्दरबाई पिता देवसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.226	0.002
14	178	चम्पालाल पिता देवीसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.352	0.004
15	179/2	मदनलाल पिता रोडजी रतनलाल पिता रोडजी गुलाबबाई पिता रोडजी लीलाबाई पिता रोड जी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.164	0.002
16	180/1	केशरबाई बैवा देवहिस बालू भगवानसिंह पिता देवसिंह कृष्णबाई बैवा कंवरलाल दुर्गाबाई पुत्री कंवरलाल नाठबाई सरपेठमाता कृष्णबाई बैवा कंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.146	0.002
17	180/2	कालू पिता भंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.145	0.002
18	181	मानसिंह पिता मोतीलाल पारीबाई बैवा मोतीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	1.113	0.002
19	191	मानसिंह पिता मोतीलाल पारीबाई बैवा मोतीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.089	0.002
20	352	कंचनबाई बैवा अमरसिंह भंवरलाल रायसिंह राधेश्याम दयाविसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.101	0.001
21	348	कंचनबाई बैवा अमरसिंह भंवरलाल रायसिंह राधेश्याम दयाविसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	1.91	0.001
22	193	केशरबाई बैवा प्रहलाद रामचरण पिता प्रहलाद प्रेमबाई बरदीबाई कंकूबाई भूलीबाई पिता प्रहलाद जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.19	0.006
23	184/3	कालू पिता शिवजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.139	0.004
24	188	कन्हैयालाल मागीरथ चम्पालाल पिता मोतीलाल मुंगलीबाई बैवा मोतीलाल प्रभुलाल पिता जगन्नाथ प्रहलाद पिता राम श्रीलाल पिता रामसिंह हि.33पै फुलसिंह मानसिंह पिता मोतीलाल रामरतन गोरीलाल लक्ष्मीनारायण चौथमल पिता देवसिंह सुन्दरबाई पुत्री देवसिंह मुंगु नारानीबाई बैवा सुन्दरबाई पुत्री जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.053	0.002

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
25	189/1	कन्हैयालाल पिता गोतीलाल भागीरथ पिता गोतीलाल चम्पालाल पिता गोतीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.063	0.002
26	189/2/1	शिवनारायण पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.055	0.002
27	189/2/2	किशनलाल पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.008	0.002
28	185	कालू पिता शिवजी भंवरलाल देवचन्द पिता रुगनाथ हिं025 पै० गुलाबवाई बैवा गुलाब हजारीलाल आ०गुलाब रोडजी हरिसिंह अमरसिंह आ० मेहताब हिं050 पै० जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.053	0.002
29	186/1	कालू पिता शिवजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.367	0.002
30	186/2	अनारबाई बैवा भंवरलाल गीताबाई बैवा नारायण जगदीश सुनीता पिता नारायण जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.183	0.002
31	187/1	कालू पिता शिवजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.405	0.002
32	187/2	अनारबाई बैवा भंवरलाल गीताबाई बैवा नारायण जगदीश सुनीता पिता नारायण जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.202	0.004
33	334	शासकीय	बाजरोन	0.482	0.002
34	350/1	गोकुलबाई बैवा गोरीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.095	0.006
35	350/2	गोकुलबाई बैवा गोरीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.095	0.004
36	355/1	बापूलाल पिता मांगीलाल ग्यारसीबाई पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.191	0.002
37	355/2	कालूराम पिता रोडा ग्यारसीबाई पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.095	0.004
38	355/3	इन्द्रसिंह पिता रोडा गुलाबवाई बैवा रोडा ग्यारसीबाई पुत्री हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.095	0.004
39	358	कबनबाई बैवा अमरसिंह भंवरलाल रायसिंह राधेश्याम दर्यावसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	1.91	0.008
40	359/2	मोमसिंह पिता हरिसिंह मोखमसिंह पिता हरीसिंह यशवंतसिंह पिता हरीसिंह अन्नरकुवर बैवा हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.41	0.012
41	364/1	मोतीलाल पिता नाथू जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.232	0.004
42	364/2	रामनारायण पिता नाथू जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.232	0.004
43	364/3	शिवनारायण पिता नाथू जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.232	0.006
44	365	कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.862	0.006
45	474	रामचरण पिता जगन्नाथ कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ सरदारबाई पिता जगन्नाथ अनारबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.582	0.006
46	484	केशरबाई पिता सुखराम जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.987	0.0012
47	485/2	फुलसिंह पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.277	0.008
48	485/3	फुलसिंह पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	1.252	0.008

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
49	496/1	मांकरलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.069	0.002
50	496/2	रामचरण पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.069	0.002
51	497/1	मांकरलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.389	0.01
52	636	शासकीय	बाजरोन	0.243	0.002
53	638/1	राधेश्याम पिता गोपी हजारीलाल पिता गोपी भूलीबाई बैवा गोपी रंगलाल पिता गोपी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.113	0.004
54	638/2	कन्हैयालाल पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.114	0.002
55	634/4	मु. गंगाबाई बैवा उंकारबक्स मोहनबाई पुनी उकारबक्स जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.702	0.006
56	639/1	भागीरथ पिता नाथ बालू पिता भंवरीया मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.849	0.004
57	639/2	भागीरथ पिता नाथ बालू पिता भंवरीया मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.012	0.006
58	640	रामचरण पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.441	0.002
59	649/2	रामप्रताप पिता नानूराम रामगोपाल पिता नानूराम जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.69	0.004
60	649/3	चम्पालाल पिता कन्हैयालाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.106	0.004
61	650	संजय कुमार पिता बजेसिंह आ. पा. कर्ता पिता बजेसिंह पिता रामचरण जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.251	0.006
62	651/1	कन्हैयालाल पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.751	0.004
63	502	शासकीय	बाजरोन	0.799	0.002
64	657/1	नरसंगलाल दत्तक पुत्र गिरदारी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.677	0.008
65	657/2	खुबानसिंह पिता रामबक्स जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बाजरोन	0.346	0.006
			महायोग	31.288	0.259

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र. 79-अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-1925

सागर, दिनांक 11 मार्च 2022

**मौजा हनौता उवारी पट.ह.न.-16 तहसील बण्डा  
(देखिये धारा 19 एवं 21)**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसम्पत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनानांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	बण्डा
3. ग्राम	:	हनौता उवारी
4. पट.ह.न.-	:	16
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.290 हे.

**:: अनुसूची - 01 ::**

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति याँ
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूरनलाल अनंदी हरीराम पिता धनीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39	0.760	0.760	0.000	0.000	-
2	बबू पि. रंगोला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	227	0.030	0.020	0.000	0.010	अमरुद-2 इमली-1 बेरी-1 नीम-1 सूलबबुल-6
3	मनोजकुमार संजयकुमार पिस. वृजमोहन विनोद प्रदीप पिस. भगवती प्रसाद ललित किशोरी भनीषा देनी प्रीति पुत्री भगवती प्रसाद शकुन्तला वे. भगवतीप्रसाद पता सा. उत्तराखण्ड भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	0.020	0.000	0.000	0.020	-
4	यशोदाबाई पति हरदास प्रजापती पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233	0.040	0.000	0.040	0.000	-
5	अमरसींग पिता दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248/1	0.010	0.000	0.000	0.010	-

6	નારાનસીંગ પિતા દરયાવસીંગ પતા સા. દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	248/2	0.010	0.000	0.000	0.010	—
7	ઢેલનસીંગ પિતા લટકન જતિ ગૌડ પતા બન્ડા સાગર મધ્ય પ્રદેશ સમ્પૂર્ણ માગ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	313/1	0.600	0.000	0.600	0.000	છેવલા-12 ગુરાર-3 બબુલ-2
8	પ્રીતમ પિતા લટકન પતા હનૌતા ઉબારી બણ્ડા સાગર મધ્ય પ્રદેશ સમ્પૂર્ણ માગ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	313/2	0.200	0.000	0.200	0.000	છેવલા-22 ગુરાર-4
9	લાઠમન કલ્યાન વલ્દ ગજરાજ પતા સા દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	394	0.300	0.020	0.000	0.000	—
10	પૂરન પ્રાનસીંગ શિવહરે પિતા કુદૂ કુમેર પિતા સુમેર સીના પૂજા ના બા પિતા સુમેર વલી વ ખુદ માં મીરાબાઈ બેવા સુમેર પતા સા દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	402/1	0.060	0.000	0.000	0.010	—
11	નથુ પિતા પંચમ નન્હીબાઈ બેવા પંચમ કુસુમ શાંતિ પિતા પંચમ જીવન પિતા હલ્કૂ રાધાબાઈ કેશરવાઈ પિતા હલ્કૂ પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	402/2	0.050	0.000	0.010	0.000	—
12	નન્હેસીંગ પિતા કેશરેસીંગ પતા સા. દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	471	0.170	0.170	0.000	0.000	—
13	પ્રમાબાઈ પિતા દરયાવસીંગ દ્રોપતીબાઈ બેવા રાવ અર્જુનસીંગ દેવેન્દ્રસીંગ જવારસીંગ પિતા ભૂમિ સ્વામી રાવ અર્જુનસીંગ ભગવાનસીંગ પિતા મર્દનસીંગ બડીબહૂ બેવા મર્દદન સીંગ સુમન ના બા પિતા ચંદનસીંગ પા. વ ખુદ માં ભૂમિ સ્વામી ધનબાઈ બેવા ચંદનસીંગ પતા સા દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	506 507	0.040 0.060	0.000 0.000	0.010 0.030	0.000 0.000	—
14	મગવાનસીંગ પિ. મર્દનસીંગ સુમન પુત્રી ચંદનસીંગ ધનબાઈ વે. ચંદનસીંગ પતા સા. દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	509	0.030	0.000	0.020	0.000	—
15	માધવસીંગ નન્હુસીંગ પિતા શંકરસીંગ બડીબહૂ બેવા શંકરસીંગ ગીતા કિરન પિતા શંકરસીંગ પતા સા દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	537/1 540/1	0.050 0.070	0.050 0.000	0.000 0.010	0.000 0.000	બબૂલ-1
16	રાજકુમાર પિતા લાલસીંગ પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	537/2 540/2	0.060 0.060	0.000 0.020	0.060 0.000	0.000 0.000	—
17	નાયનસીંગ પિત બખતસીંગ પતા સા. ગુગરા ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	538	0.040	0.000	0.040	0.000	—
18	ગજરાજ પિતા ખૂબસીંગ પતા સા દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	539	0.040	0.030	0.000	0.000	—
19	સુરેન્દ્ર લખન પિતા જગન્નાથ ભાગબાઈ બેવા જગન્નાથ પતા સા. દેહ ભૂમિ સ્વામી	ભૂમિ સ્વામી	570	0.170	0.140	0.000	0.000	છેવલા-1
	કુલ યોગ:-		22	2.870	1.210	1.020	0.060	

**:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::**

सं. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)
				झोपड़ी/कच्चा कबैल/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बबू पि. रंगोला पता सा. देह भूमि स्वामी	227	मनोहर पिता बाबुलाल रंगोले चदार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	24.38	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	25.82		
2	मनोजकुमार संजय कुमार पिस. बृजमोहन विनोद प्रदीप पिस. भगवती प्रसाद ललित किशोरी मनीषा देवी प्रीति पुरी भगवती प्रसाद शकुन्तला वे.भगवती प्रसाद पता सा. उत्तराखण्ड भूमि स्वामी	229	मनोज कुमार पिता बृजमोहन पण्डा	दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	32.24	निरंक	अस्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकड़ी का छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	62.00		
				उपर की मंजिल छत सीमेंटसीट	62.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	62.00		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	219.58		
3	मनोजकुमार संजयकुमार पिस. बृजमोहन विनोद प्रदीप पिस. भगवती प्रसाद ललित किशोरी मनीषा देवी प्रीति पुरी भगवती प्रसाद शकुन्तला वे. भगवती प्रसाद पता सा. उत्तराखण्ड भूमि स्वामी	229	संजय पिता बृजमोहन पण्डा	मकान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	28.60	निरंक	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	28.60		
4	अमरसींग पिता दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	248/1	संदीप पिता अमर सींग लोधी	डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे फर्शी गाटर छत सीमेंट सीट फर्शी पक्का	25.22	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत सीमेंटसीट	25.22		
				दहलान लकड़ी के पिलर छत टीनशैड	13.92		
				कुलयोग :-	64.36		

5	अमरसींग पिता दरयावर्सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	248/1	अमर सिंह पिता दरयाब सिंह लोधी	डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे. फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	21.56	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	21.56		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	38.57		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	14.96		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	11.66		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत टीनशैड	16.81		
				जीना पक्का ईट	9.75		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	136.32		
6	नारानसींग पिता दरयावर्सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	248/2	नारायण सिंह पिता दरयावर्सींग लोधी	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे. फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	14.62	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	14.62		
				मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	17.95		
				दहलान दीवार ईट छत टीनसेट फर्श कच्चा	14.00		
				दहलान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	11.22		
				दीवार पत्थर छत खपरेल फर्श कच्चा	23.65		
				रसोई घर दीवार ईट छत टीनसेट फर्श कच्चा	10.80		
				मकान दीवार पत्थर छत खपरेल फर्श कच्चा	13.97		
				जीना पक्का ईट	4.00		
				कुलयोग :-	124.81		
7	पूरन प्रानसींग शिवहरे पिता कुदू कुनेर पिता सुमेर सीमा पूजा ना बा पिता सुमेर बली व खुद मां भीराबाई बेवा सुमेर पता सा देह भूमि स्वामी	402/1	प्रान सींग पिता कुदू गौड शिवहरे पिता कुदू गौड हिस्सा 1/2	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	43.87	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनशैड फर्श कच्चा	37.45		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	82.76		

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5)
  - (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
  - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
  - (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।

- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और व्यवस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथोचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति—समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर—परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण

क्रमांक—63अ/19(3) वर्ष 2019—20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक—19 अ/19(3) वर्ष 2020—21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर—35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू—खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारी और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 27/04/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों मे अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र. 70A-82-21-22-भू-अर्जन-22-2115

सागर, दिनांक 24 मार्च 2022

मौजा— सेमरा अहीर पटवारी हल्का नं. 012 तहसील बण्डा

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की समावना है। इस परियोजना से निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26/06/2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतु अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावजूद जहाँ पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार शासकीय भूमियों पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया (मकान इत्यादि) का अर्जन किया जाना है।

(1) परियोजना का नाम :-

बण्डा सिंचाई परियोजनानंतर्गत शीघ्र कार्य

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

बण्डा

3. ग्राम

सेमरा अहीर

4. पटवारी हल्का नं.

12

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

188.69 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

= अनुसूची -01:-

स.क्र.	मकान धारक का विवरण	ख.नं.	कुल रकवा	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित मकान का विवरण	प्रभावित मकान का लगभग क्षेत्रफल (व.मी.मे.)
1	2	3	4	5	6	7
1	खलकर्सीग पिता घनीराम यादव	309	0.080	शासकीय आबादी (गैवठान)	मकान दीवार इट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	28.47
					मकान पक्का दीवार इट छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	25.08
					गौरिज दीवार इट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	52.26
					बाउण्ड्री वॉल इट+पत्थर की	10.95
					लोहे का गेट एवं पिलर RCC	8.60
					जीना पक्का उपर का	4.95
					जीना पक्का नीचे का	3.78
					कुलयोग :-	134.09
2	इमरान धाट	310	0.570	शासकीय (चरागाह)	चूतरा पक्का लोहे के पिलर छत टीन शेड	54.60
					कुलयोग :-	54.60
	कुलयोग :-	2	0.650			188.69

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)2014—सात—शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्म श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू—अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)2014—सात—शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्म श्रेणी का होगा और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्म श्रेणी का होगा को पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू—अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करें एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूचित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (सात) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र. 4467—भू—अर्जन—2022

धार, दिनांक 4 मई 2022

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,  
अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में इन्दौर—दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुणावद तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर—दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। इन्दौर—दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पूर्व में किया जा चुका है, अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची (01)

ग्राम — गुणावद		तहसील — धार		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		कुल
		सिंचित	असिंचित	
1	दाहोद—इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु	0.421	0.000	0.421
	योग	0.421	0.000	0.421

### अनुसूची (02)

इन्दौर—दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुणावद की प्रभावित भूमि का विवरण

### ग्राम — गुणावद

### तहसील — धार

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पुष्पाबाई बेवा मेहरबानसिंह, महेन्द्र पिता मेहरबानसिंह, राखी, नीता पिता मेहरबानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुणावद	558/1	1.280	0.000	1.280	0.421	0.000	0.421
	योग:-		1.280	0.000	1.280	0.421	0.000	0.421

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-आसन बेराज-3206/

मुरैना, दिनांक 4 अप्रैल 2022

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम- ठेह, प0ह0क्र0 121 रा0नि0वृत्त- तहसील- जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला- मुरैना में कुल 8.30 हेक्टेएक्ट भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-ठेह प0ह0क्र. 121 राजस्व वृत्त- तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 2. भूमि का वर्णन

क.	जिला-	मुरैना
ख.	तहसील-	जौरा
ग.	ग्राम-	ठेहागिर्द
घ.	लगभग क्षेत्रफल	8.30 हेक्टेएक्ट

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नानुसार है:-

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	21	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.250	भीखा पुत्र लखपति जाति गूठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा.शा. बिलमुक्ता 7.91
2.	22	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.290	भीखा पुत्र लखपति जाति गूठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा.शा. 21
3.	23	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.270	भीखा पुत्र लखपति जाति गूठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा.शा. 21
4.	24	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.580	भीखा पुत्र लखपति जाति गूठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा.शा. 21
5.	25	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.370	भीखा पुत्र लखपति जाति गूठा. पता नि.

संक्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
			'		ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 21
6.	26	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.380	भीखा पुत्र लखपति जाति गूठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 21
7.	30	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.310	शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गूठा. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 17
8.	12	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.070	मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह बुलाखी सिंह पुत्रान संतोष सिंह रामाबाई सरोजबाई मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 0.50
9.	13	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.040	मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह बुलाखी सिंह पुत्रान संतोष सिंह रामाबाई सरोजबाई मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 12
10.	16	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.050	मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह बुलाखी सिंह पुत्रान संतोष सिंह रामाबाई सरोजबाई मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 12
11.	17	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.310	शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गूठा. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 2.12
12.	147	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.080	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 5.81

संक्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
13.	148	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.060	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा.शा. 147
14.	150	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.160	मु. मथुरा वेवा अतर सिंह सिंघराम जबर सिंह पप्पू बच्चू मुकेश पुत्रान अतर सिंह गीता चिरोंजी पुत्रिया अतर सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा.शा. 33
15.	151	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.210	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा.शा. 147
16.	152	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.060	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा. 0.25
17.	158	भू-दान धारी	कृषि भूमि	0.510	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भू-दान कृषक भूरा. 2.31
18.	159	भू-दान धारी	कृषि भूमि	0.200	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भू-दान धारी भूरा. 0.87
19.	161	भू-दान धारी	कृषि भूमि	0.670	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भू-दान धारी भूरा. 0.67
20.	163	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240	बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा.शा. बिलमुक्ता 5.60
21.	165	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.640	बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा. 3.0
22.	167	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.050	बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा.शा. 163
23.	168	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.210	बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा.शा. 163
24.	173	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.310	बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा.शा. 163
25.	169	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.590	हरी सिंह पु. सुधई हि 1/20, बाबूलाल पुत्र सुधई हि 1/20, सीताश्री पुत्री सुधई हि. 1/20, गुड्डी नाबालिंग पुत्री सुधई संरक्षक सर. मॉ काशी खुद हि. 1/20 काशी बेबा सुधई हि. 1/20, कोशा बेबा लखुआ हि 3/8 उग्रसेन पुत्र भीखा हि. 3/24 बुन्देश नाबालिंग पुत्री भीखा संरक्षक सर मॉ काशी खुद हि. 3/24

संक्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1.	2	3	4	5	6
					काशी बेबा भीखा हि. 3/24 जाति गूठा. पता ठेहागिर्द जौरा मुरैना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी भूरा. 2.56
26.	170	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.090	बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूठा. पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा.शा. 163
27.	172	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.300	बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूठा. पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भूरा.शा. 163
	कुल किता 27			8.30 हो	

- यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  - नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  - उक्त भूमि के या क्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण से दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
  - कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त कियें हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 3 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2022

पत्र क्र. 807-भू-अर्जन-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रखवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, गंगेव टिकुरी प्रणामी मंदिर से खरहना गंगेव पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्वस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) नगर/ग्राम—नीवी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.873 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4	0.005
5	0.104
6	0.078
8	0.044
9	शा. नं. 5 में
14	शा. नं. 5 में
15	शा. नं. 5 में
18	0.068
19/1	0.076
21	0.090
22	0.126

	(1)	(2)
	25	0.126
	28	0.156
	29	शा. नं. 28 में
	30	शा. नं. 18 में
		कुल रकबा . . 0.873

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—गंगेव टिकुरी प्रणामी मंदिर से खरहना गंगेव पहुंच मार्ग हेतु।
- (3) भूमि का नवशा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स, संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

धार, दिनांक 28 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 45-रीडर-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं। अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—डही
- (ग) ग्राम—मालपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—2.660 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(1)	(2)
172	0.480
173/1	0.150

(1)	(2)	(ग) ग्राम का नाम—रेहड़दा (घ) क्षेत्रफल—3.641 हेक्टेयर.
149/1/6/1	0.099	
170	0.180	प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंटनंबर 550 भूमि का विवरण
169/2	0.100	
149/1/5	0.372	
168/6	0.100	
168/7	0.075	
149/1/6/2	0.099	
168/5	0.400	
149/1/4	0.219	(1) (2) (3)
149/1/3	0.016	
149/1/2	0.250	1 172225839001 1.923
151/3	0.080	2 172225857001 0.559
153/3	0.040	3 172225887001 0.445
योग. .	<u>2.660</u>	4 172209205002 0.534
		योग . . <u>3.461</u>

- (2) सार्वजनिक परियोजना—माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

धार, दिनांक 25 अप्रैल 2022

क्र. 4104-भू-अर्जन-2022-प्रकरण क्रमांक 0004-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पर पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—गंधवानी

क्र. 4112 भू-अर्जन-2022-प्रकरण क्रमांक 0003-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पर पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—गंधवानी

- (ग) ग्राम का नाम—रेहड़ा  
 (घ) क्षेत्रफल—15.241 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
------------------------	---

310/2/3	1.000
310/2/1/1	0.538
310/2/1/4	0.539
310/2/2/3	0.086
310/2/1/2	0.538
310/2/2/1	0.162
310/2/1/3	0.539
310/2/2/2	0.152
287/2	1.029
283	0.387
180/2/2	0.418
197/2	0.261

269	2.466
279/2/3	0.576
180/2/3	0.300
279/2/2	0.574
247/1	0.226
296/1/2	0.091

279/3/1/2	0.070
247/3	0.227

279/3/1/3	0.069
296/1/3	0.091

180/2/1/2	0.820
279/2/1/1	0.287

279/2/1/2	0.287
180/2/1/1	0.270

85/2/4	0.500
88/9	0.700

88/10	1.000
65/1	0.100

65/2	0.100
65/3	0.100

281	0.738
योग.	<u>15.241</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) बरखेड़ा परियोजना अंतर्गत पूर्व में भूमि/भवनों का अधिग्रहण किया गया है. प्रभावित व्यक्तियों को पूर्वानुसार ही पुनर्वास अनुदान देय होगा.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 4116-भू-अर्जन-2022-प्रकरण क्रमांक 0001-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—गंधवानी
- (ग) ग्राम का नाम—खोजाकुआं
- (घ) क्षेत्रफल—0.879 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
------------------------	---

84	0.491
72	0.304
241	0.084

योग. 0.879

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) बरखेड़ा परियोजना अंतर्गत पूर्व में भूमि/भवनों का अधिग्रहण किया गया है. प्रभावित व्यक्तियों को पूर्वानुसार ही पुनर्वास अनुदान देय होगा.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 4 मई 2022	(1)	(2)
क्र. 4455-भू-अर्जन-2022-प्रकरण क्रमांक 0002-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	22/3	96.96
अनुसूची	22/3	180.81
(1) भूमि का वर्णन—	22/3	57.60
(क) जिला—धार	22/3	58.50
(ख) तहसील—गंधवानी	22/3	57.00
(ग) ग्राम का नाम—रेहडा	22/3	67.00
(घ) क्षेत्रफल—5245.93 वर्गमीटर	22/3	173.30
प्रभावित सर्वे क्र.	20	28.16
जिसमें मकान	20	78.75
स्थित है	20	41.40
(1)	13/1	77.00
235/2/1	13/1	95.70
235/2/1	13/1	153.30
235/2/1	13/1	36.00
249/2	13/1	34.00
249/2	20	30.00
प्रभावित सर्वे क्र.	2/2	48.36
जिसमें मकान	2/2	83.30
स्थित है	88/9	32.40
(1)	22/3	58.50
235/2/1	310/1	131.00
235/2/1	310/1	52.00
235/2/1	310/1	22.05
249/2	310/1	17.87
249/2	180/2/1/3	18.70
249/2	309/1/3	76.80
249/2	309/1/3	49.00
249/2	309/1/3	49.00
249/2	250	11.55
249/2	249/2	74.75
249/2	173/2/1	17.87
240/1	कुल योग . .	
240/1	<u>5245.93</u>	
240/1	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु,
249/2	(3)	बरखेड़ा परियोजना अंतर्गत पूर्व में भूमि/भवनों का अधिग्रहण किया गया है। प्रभावित व्यक्तियों को पूर्वानुसार ही पुनर्वास अनुदान देय होगा।
256/1	(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
248	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
256/1	पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	
250		
250		
310/2/1/2		
22/3		
22/3		
22/3		
22/3		

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2022

**क्र. 135-स्था.सैट-2022.—डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को दिनांक 18 अप्रैल से 20 मई 2022 तक, तेंतीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 22 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।**

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, को पुनः विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में डॉ. रमेश कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के तर्काल पूर्व देय थे।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

**माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
कृष्णमूर्ति मिश्र, रजिस्ट्रर जनरल**

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2022

**क्र. सी-1618-III-10-42-75 (विदिशा-कुरवाई)।—एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बासौदा जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान बासौदा के अतिरिक्त कुरवाई में प्रत्येक माह में एक सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, बासौदा में ही बैठक करेंगे। बासौदा-कुरवाई श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।**

No. C/1618-III-10-42-75 (Vidisha-Kurwai).—It is hereby directed that Shri Vinod Kumar Sharma, Ist District & Additional Sessions Judge, Basoda who was directed to hold sitting at Kurwai in addition to his place of Posting for a period on One Week in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Basoda only on all working days in a month. The sitting of Basoda-Kurwai Link Court is hereby discontinued.

**क्र. सी-1620-तीन-10-42-75।—एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक-4 में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।**

No. C-1620-III-10-42-75.—The Judges named in the column no. 3 of the following table are hereby directed to hold sitting at places mentioned in the column no. 2 of the table in addition to their place of posting for the period mentioned in column no. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all earlier notifications, if any, issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table.

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rampur Naikin (Sidhi)	Shri Rajesh Kumar Shrivastava II District & Additional Sessions Judge, Sidhi.	10 days
2.	Rampura (Neemuch)	Shri Saksham Narula I Civil Judge Junior Division, Manasa.	One Week
3.	Shahgarh (Sagar)	Ku. Priya Gupta II Civil Judge Junior Division, Banda.	15 days

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Kesli (Sagar)	Shri Manoram Tiwari Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Deori.	07 days
5.	Jaitpur (Shahdol)	Shri Siddharth Sharma I Civil Judge Junior Division, Budhar.	15 days

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
VIVEK SAXENA, Registrar (District Establishment).

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. A-1793-दो-2-73-2018.—श्री जोगिन्द्र सिंह, ओ. एस.डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 26 अप्रैल 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगिन्द्र सिंह, ओ. एस.डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगिन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1795-दो-2-57-2009.—श्री एफ. एच. काजी, एस. पी. एस. ए. (एस. ए.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक

5 से 8 अप्रैल 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच. काजी, एस. पी. एस. ए. (एस. ए.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस. पी. एस. ए. (एस. ए.), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. बी-2098-तीन-10-40-78-आठ.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666, दिनांक 18 नवम्बर 2016 में संशोधन करते हुए, जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तदनुसार उक्त अधिसूचना की सारणी में अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

#### सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय		सिविल न्यायादीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	3	नर्मदापुरम	2	नर्मदापुरम	3
		सोहागपुर	2	सोहागपुर	1	सोहागपुर	1
		पिपरिया	3	पिपरिया	2	पिपरिया	2
		इटारसी	3	इटारसी	2	इटारसी	3
				सिवनी	1	सिवनी	1
				मालवा		मालवा	
						पचमढ़ी	2

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
विवेक सक्सेना, रजिस्ट्रार जिला स्थापना।

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2022

क्र. A-1525-दो-2-73-2021.—श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1527-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 15 से 16 मार्च 2022 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1778-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 7 से 13 फरवरी 2022 तक सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-1780-दो-2-49-2021.—श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-999-दो-2-63-2018.—श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1657-दो-2-4-2021.—श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 अप्रैल 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2022

क्र. A-1684-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री वाचस्पति मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

के आदेश फा. 195-इकीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इकीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इकीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री मिश्र को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश .. 191
अद्वैतन अवकाश .. 109
<b>योग : 300 दिवस</b>

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 191 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुशेष्य+महंगाई भत्ता

अद्वैतनिक अवकाश = \_\_\_\_\_ X 109  
के एवज में नगद 30  
भुगतान.

क्र. A-1686-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 18 से 23 अप्रैल 2022 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जारी तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-1688-दो-2-22-2019.—श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1690-दो-2-101-2017.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 20 से 26 अप्रैल 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1694-दो-2-51-2021.—श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जारी तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-1696-दो-2-43-2020.—श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1698-दो-2-102-2017.—श्री हुदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नाम भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-1702-दो-2-64-2021.—श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 अप्रैल 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2022

क्र. C-1449-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शाजापुर को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1458-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 7 से 9 मार्च 2022

तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1460-दो-2-61-2021.—श्री पी. सी. गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नाम भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-1445-दो-2-41-2018.—श्री मोहन पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 23 से 26 मार्च 2022 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहन पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहन पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1451-दो-2-25-2015.—श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 मार्च 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1453-दो-2-63-2018.—श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 28 मार्च 2022 का दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

Jabalpur, the 6th March 2022

No.28/CJ-II-1964.—WHEREAS, a departmental enquiry is contemplated against Shri Pankaj Jaiswal, I Civil Judge, Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Harda for committing acts of grave misconduct as a judicial officer.

AND WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Pankaj Jaiswal, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Harda under suspension with immediate effect with the headquarters at Sheopur during the period of suspension. He is further directed to report to the Principal District and Sessions Judge, Sheopur, immediately, in compliance of the order. As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No.30/CJ-II-2014.—WHEREAS, an enquiry is contemplated against Smt. Sonali Sharma, II Civil Judge Junior Division (Regular Court), Harda for being unsuitable to hold the post of a judicial officer.

AND WHEREAS, looking to the seriousness and nature of the allegations and to obviate the possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as a Disciplinary Authority, the High Court, hereby, places Smt. Sonali Sharma, II Civil Judge Junior Division (Regular Court), Harda under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni during the period of suspension. She is further directed to report to the Principal District and Sessions Judge, Katni, immediately, in compliance of the order. As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No.32/CJ-II-1930.—WHEREAS, an enquiry is contemplated against Smt. Rachna Atulkar Joshi, III Additional Judge to Civil Judge, Junior Division (Regular Court), Harda for being unsuitable to hold the post of a judicial officer.

AND WHEREAS, looking to the seriousness and nature of the allegations and to obviate the possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as a Disciplinary Authority, the High Court, hereby, places Smt. Rachna Atulkar Joshi, III Additional Judge to Civil Judge, Junior Division (Regular Court) under suspension with immediate effect with the headquarters at Narsinghpur during the period of suspension. She is further directed to report to the Principal District and Sessions Judge, Narsinghpur, immediately, in compliance of the order. As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,  
PRAMOD KUMAR AGRAWAL, Principal Registrar  
Vigilance.

जबलपुर, दिनांक 9 मार्च 2022

क्र. C-941-एक-7-3-22-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर एवं उसकी रजिस्ट्री हेतु “रंगपंचमी” के उपलक्ष्य में मंगलवार दिनांक 22 मार्च 2022 के दिन अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त घोषित अवकाश के एवज में दिनांक 26 मार्च 2022 (शनिवार) को खण्डपीठ इन्दौर में न्यायालयीन कार्य दिवस रहेगा।

कृष्णमूर्ति मिश्र, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. B-2096-III-10-40-78.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी/4903, दिनांक 12 सितम्बर 2017 में सारणी में अनुक्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

**सारणी**

अनुक्रमांक	सत्र न्यायालय	सामान्यतः बैठने का स्थान
(1)	(2)	(3)
21	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम, सोहागपुर, पिपरिया, इटरसी.

No. B-2096-III-10-40-78.—In the notification of the High Court No. B-4903, dated 12th September, 2017; issued in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), serial No. 21 of the table is amended as below :—

**TABLE**

S. No.	Court of Sessions	Place, where the Courts shall ordinarily hold their sitting
(1)	(2)	(3)
21	Narmadapuram	Narmadapuram, Sohagpur, Pipariya, Itarsi

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
विवेक सर्वेना, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना).

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. 1796-स्था.—श्री देव नारायण मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 21 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक, कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
हितेन्द्र द्विवेदी, ओ. एस. डी./रजिस्ट्रार.